

प्रेसनोट थाना राजघाट, गोरखपुर दिनांक 10.11.2022

39 लीटर अपमिश्रित अवैध कच्ची शराब, 50 ग्राम नौसादर व 200 ग्राम यूरिया के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा "अवैध कच्ची शराब निष्कर्षण/ बिक्री की रोकथाम एवं अपराधियों की गिरफ्तारी" के संबंध में चलाये जा रहे अभियान/निर्देश के क्रम में व पुलिस अधीक्षक नगर जनपद गोरखपुर व क्षेत्राधिकारी कोतवाली के कुशल पर्यवेक्षण में व श्री संजय कुमार मिश्रा थाना प्रभारी थाना राजघाट, गोरखपुर के कुशल निर्देशन में उ0नि0 राजेन्द्र कुमार सिंह मय टीम द्वारा 39 लीटर अपमिश्रित अवैध कच्ची शराब व 50 ग्राम नौसादर व 200 ग्राम यूरिया के साथ अभियुक्त राहुल शर्मा पुत्र आर्यन शर्मा निवासी अशोक नगर बशारतपुर थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया जिसके सम्बंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 327/2022 धारा 272 भा0द0वि0 व 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त राहुल शर्मा उपरोक्त को न्यायिक अभिरक्षा रिमांड हेतु माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

राहुल शर्मा पुत्र आर्यन शर्मा निवासी अशोक नगर बशारतपुर थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर

बरामदगी:-

कब्जे से 39 लीटर अपमिश्रित अवैध कच्ची शराब व 50 ग्राम नौसादर व 200 ग्राम यूरिया बरामद

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0-327/2022 धारा 272 भादंस0 व 60 आबकारी अधिनियम थाना राजघाट जनपद गोरखपुर ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का नाम :-

1. उ0नि0 राजेन्द्र कुमार सिंह थाना राजघाट जनपद गोरखपुर ।
2. का0 अशोक यादव थाना राजघाट जनपद गोरखपुर ।
3. का0 हृदयेश कुमार सिंह थाना राजघाट जनपद गोरखपुर ।